न्यायालय उपजिलाधिकारी केराकत।

वाद सं० टी०201614360514 धारा 80 रा०सं० 2006

मौजा – भाऊपुर, परगना बयालसी तहसील केराकत

रामदुलार चैरिटेबल सोसायटी बनाम गॉवसभा

आदेश

प्रस्तुत वाद रामदुलार चैरिटेबल सोसायटी कुसांव, भाऊपुर, जौनपुर अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह पुत्र लाल साहब सिंह सा०मौजा कुसांव के जरिये प्रबंधक संदीप सिंह पुत्र लाल साहब सिंह, नि०मौजा कुसांव, परगना बयालसी तहसील केराकत, जनपद जौनपुर ने गॉवसभा जरिये प्रधान अध्यक्ष भू०प्र०स० ग्राम कुसांव, भाऊपुर, परगना बयालसी तहसील केराकत में पक्षकार बनाते हुए आराजी संख्या 583/0.378 हे० स्थित ग्राम कुसांव, भाऊपुर, परगना बयालसी, तहसील केराकत के सम्बन्ध में अभिकथन किया है कि वादी आराजी उपरोक्त का काविज–दाखिल संक्रमणीय भूमिधर मालिक व काविज है तथा आराजी निजाई उपरोक्त का रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 28.03.2012 को अशोक कुमार पुत्र बच्चा सिंह कुसांव, परगना बयालसी, तहसील केराकत, जौनपुर से रामदुलार चौरिटेबल सोसायटी कुसांव, भाऊपुर परगना बयालसी, तहसील केराकत के जरिये अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह पुत्र लाल साहब सिंह सा०मौजा कुसांव, परगना बयालसी, तहसील केराकत के हक में कराया गया है, जिस पर रामदुलार चैरिटेबल सोसायटी कुसांव, भाऊपुर, विद्दमान है। आराजी निजाई उपरोक्त में रामदुलार चैरिटेबल सोसायटी की इमारते, खेल–कूद के मैदान लान आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा आराजियात निजाई का सम्पूर्ण रकबा अकृषिक भूमि के रूप में प्रयुक्त हो रहा है तथा इसका कोई भी भाग जोता–बोया नहीं जाता है। आराजियात निजाई उपरोक्त लैण्ड की परिभाष में नहीं आता है, बल्कि अकृषिक है। अन्य अभिकथन करते हुए ग्राम भाऊपुर, परगना बयालसी, तहसील केराकत, जनपद जौनपुर में स्थित आराजी नम्बर 583/0.378 हे० अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुक्त घोषित किये जाने हेतु याचना किया है। अपने कथन के समर्थन में खतौनी वर्ष 1422 लगायत, खसरा 1383फ० 1427 व 41 व 45 तथा स्थल की फोटो चित्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली आख्या हेतु तहसीलदार केराकत के यहाँ भेजी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध नायब तहसीलदार की आख्या दिनांक 28.12.2017 व तहसीलदार की आख्या दिनांक 05.01.2018 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आराजी निजायी 583/0.378 हे० पर रामदुलार चौरिटेबल सोसायटी का भवन निर्मित हैं। नायब तहसीलदार द्वारा अकृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है, जिससे सहमत होकर तहसीलदार द्वारा अग्रसारित किया गया है। उ०प्र० राजस्व संहिता–2006 की धारा 80(1) की स्थिति में आ०न० 583/0.378 हे० पर घोषणा की जा सकती है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में ग्राम कुसांव, भाऊपुर, परगना बयालसी, तहसील केराकत की खतौनी 1383फ० के खाता संख्या 19 पर दर्ज रामदुलार चौरिटेबल सोसायटी संजीव कुमार सिंह पुत्र लाल साहब सिंह सा०मौजा कुसांव के नाम दर्ज गाटा सं० 583/0.378 हे० रकबा को अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुताबिक परता मुक्त किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की प्रमाणित प्रति उपनिबंधक, केराकत के यहाँ आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। बाद अनुपालन पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

(सुशील लाल श्रीवास्तव)

उपजिलाधिकारी,

उपजिलाधिकारी केराकत

सत्यप्रतिलिपि
राजस्व अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट जौनपुर

दिनांक 04/04/18
प्रार्थी का नाम अवधेश
शब्द 431 टिकट 13
तैयारी का दिनांक 04/04/18
नकल जारी करने का दिनांक